संख्याः 1693/XXIV-3/10/01(28)/2010

प्रेषक,

जी0पी0तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 10 जनवरी, 2010

विषयः– सेमफोर्ड स्कूल प्रतापपुर, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेमफोर्ड स्कूल प्रतापपुर, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:–

(क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौऊंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डो द्वारा निर्धारित शर्तो/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

(घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगें और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

(ड़) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशनल, नई दिल्ली/कौंसिंल फार इण्डियन सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें, संस्था उनका पालन करेगी।

क्रमशः......2

CHAIRMAN
SHEMFORD SCHOOL
(PRATAPPUR)

PRINCIPAL
SHEMFORD SCHOOL (10+2)
KASHIPUR

(झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ट) उक्त शर्तो में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2. उक्त विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण संबंधी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

3. उक्त समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव।

<u>संख्या: 1693(1)/XXIV-3/10/01(28)/2010 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
2. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. प्रधानाचार्य, सेमफोर्ड स्कूल प्रतापपुर, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव।

CHAIRMAN
SHEMFORD SCHOOL
(PRATAPPUR)

PRINCIPAL
SHEMFORD SCHOOL (10+2)
KASHIPUR

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–1328/XXIV–3/10/01(28)10
देहरादूनः दिनांकः 16 सितम्बर, 2011

शुद्धि पत्र

शैमफोर्ड स्कूल प्रतापपुर, काशीपुर, जनपद उधमसिंहनगर को सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति शासनादेश संख्याः 1693/XXIV–3/10/01 (28) 10, में दिनांकः 10 जनवरी, 2011 के स्थान पर टंकण त्रुटि के कारण 10 जनवरी, 2010 एवं स्कूल का नाम शैमफोर्ड के स्थान पर सेमफोर्ड अंकित हो गया है। उपरोक्त शासनादेश में 10 जनवरी, 2010 के स्थान पर **10 जनवरी, 2011 एवं स्कूल का नाम सेमफोर्ड के स्थान पर शैमफोर्ड पढ़ा जाय।**

2. उपरोक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(जी0पी0 तिवारी)
अनुसचिव।

पृष्ठांकन संख्याः1328(6)/XXIV-3/10/01(28)10तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
2– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
4– जिला शिक्षाधिकारी, उधमसिंहनगर।
5– प्रधानाचार्य, शैमफोर्ड स्कूल प्रतापपुर, काशीपुर, जनपद, उधमसिंहनगर।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव।

CHAIRMAN
SHEMFORD SCHOOL
(PRATAPPUR)

PRINCIPAL
SHEMFORD SCHOOL (10+2)
KASHIPUR